न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1204/2006/चूरू

1— श्रीमती माली बेवा स्व0 आशाराम जाति मेघवाल निवासी पडिहारा तहसील तरनगढ जिला चुरू।
2— सोहनलाल पुत्र स्व. आशाराम जाति मेघवाल निवासी पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चुरू।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— नोरंगराम पुत्र स्व0 आदूराम जाति मेघवाल निवासी बूटियां तहसील व जिला चुरू।
2— ओमप्रकाश पुत्र नोरंगराम जाति मेघवाल निवासी बूटियां तहसील व जिला चूरू।
3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चुरू।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थित :
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः— 21—07—2025

1— यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर केम्प चुरू द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08—12—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण वादीगण ने प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चुरू के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 366 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण के पति व पिता आशाराम के द्वारा जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 22—06—1982 से क्रय कर वे भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी की उम्र अत्याधिक होने व उनका एक मात्र पुत्र होने से भूमि की देखभाल वादीगण के अधिकृत व्यक्ति जुहाराराम व उसके परिवार के द्वारा की जाती रही है। प्रतिवादी ने वर्ष 1991 में वादीगण की भूमि में से हरे पेड़ काटकर चोरी करके ले जाने की कोशिश की जिस पर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया था। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी का चालान भी हुआ था। प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं तथा दिनांक 03—8—1995 उनके द्वारा फसल नष्ट करने तथा भूमि पर कब्जा करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने पर वाद कारण उत्पन्न होने पर वादीगण द्वारा दावा पेश कर प्रतिवादीगण को कब्जा काश्त में मदाखलत न करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण का अस्वीकारोक्ति जवाब प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर कुल दो तनकी कायम करते हुए अपने निर्णय दिनांक 11—3—2003 द्वारा वादीगण का वाद खारिज करते हुए तहसीलदार चुरू को जाँच उपरांत प्रकरण में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण वादीगण ने न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 08—12—2005 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण वादीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— उभय पक्ष की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में तथ्यों से परे हटकर मात्र कयास के आधार पर निर्णय पारित

किया है। पारित निर्णय तनकीयात से बाहर जाकर किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तथ्य को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी नजरअंदाज कर भारी भूल की है, इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया। विचारण न्यायालय के तनकी संख्या 1 पर इस विवेचन से कि वादीगण सक्षम न्यायालय में विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना प्रतिवादीगण के विरूद्ध अनुतोष नहीं प्राप्त कर सकते हैं; से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा तथ्य को समझने में अहम भूल की है। बैनामा वादिया संख्या–1 के पति व वादी संख्या 2 के पिता आशाराम के हक में निष्पादित किया गया था। भूमि पर पहले आशाराम तथा उनकी मृत्यु पर वादीगण खातेदार दर्ज हुये। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का बैनामा की तिथि से ही बदस्तुर कब्जा काश्त स्वतन्त्र रूप से कायम रहा है। ऐसी स्थिति में यह कयास लगाना कि वादीगण का कब्जा नहीं है एवं वादीगण रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त कराने पर ही प्रतिवादीगण रेस्पो0 के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करने के हकदार हैं, इस विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के विरूद्ध करना तथ्य एवं विधि की अहम भूल है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 पर निर्णय पारित किया कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त जुहाराराम प्रजापत का होने से दावा चलने योग्य नहीं है, तथा तनकी संख्या 2 बहक वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। उक्त विवेचन अनुसार जब तनकी संख्या 2 बहक वादीगण निस्तारित की गई तब प्रतिवादीगण रेस्पोन्डेन्ट्स के पक्ष में किस आधार पर निर्णित मानी गई। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है, इसलिए दोनों निर्णय खारिज योग्य हैं। प्रतिवादीगण की ओर से जुबानी साक्ष्यों के अलावा कोई सबूत दस्तावेज विचारण न्यायालय में पेश नहीं किये गये। अपीलार्थीगण का जुहाराराम से सम्बन्ध मात्र हाली की हैसियत का है क्योंकि अपीलार्थी संख्या 1 के पति वृद्ध थे तथा उनका एकमात्र पुत्र होने से 70 किमी दूर भूमि पर काश्त करने में असुविधा होती है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने के जो आदेश पारित किये हैं वे अविधिक होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि अपीलार्थी वादीगण का विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा उनके पति व पिता के नाम तथाकथित बैनामा फर्जी व धोखे से करवाया गया दस्तावेज है। उक्त फर्जी दस्तावेज के आधार पर क्रेता आशाराम को कभी कब्जा नहीं दिया गया बल्कि भूमि पर लगातार कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का ही है। जुहाराराम उक्त दस्तावेज के आधार पर विवादित भूमि हड़पना चाहता है। जुहाराराम प्रजापत जो कि स्वर्ण जाति का है तथा प्रत्यर्थीगण हरिजन हैं, इस वजह से जुहाराराम ने विक्रय पत्र में क्रेता का नाम आशाराम लिखाया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी वादीगण का वाद साबित न होने तथा उनका कब्जा साबित नहीं होकर कब्जा जुहाराराम का होने की स्थिति में वाद खारिज कर धारा 175 के तहत कार्यवाही का निर्णय दिया गया है, जिसमें क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग किया जाना माना जाकर अपील के माध्यम से निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ उनके रिकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— दावे में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार विवादित भूमि आराजी नम्बर 366 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा हेतु दिनांक 22—06—1982 को आदुराम द्वारा आशाराम के पक्ष में सम्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भूमि पहले आशाराम के नाम तथा उसकी मृत्यु उपरान्त विरासत के आधार पर स्वीकृत नामांकरण संख्या 249 दिनांक 06—10—1994 से अपीलार्थीगण वादीगण के नाम दर्ज हुई। प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण का दावे में पक्ष है कि उक्त विक्रय पत्र वस्तुतः जुहाराराम ने भूमि हड़पने की नीयत से नुमाईशी तौर पर आशाराम के नाम सम्पादित कराया था। पक्षकारान हरिजन जाति के हैं जबकि जुहाराराम स्वर्ण जाति का व्यक्ति है। उनका यह भी पक्ष है कि उक्त विक्रय पत्र से कभी कब्जा हस्तांतरित न होकर भूमि पर वे ही काबिज काश्त हैं। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के परीक्षण उपरान्त वादीगण का भूमि पर कब्जा नहीं होना तथा कब्जा

वस्तुतः जुहाराराम का होना विवेचित कर दावा खारिज कर प्रकरण में तहसीलदार चुरू को जांच कर जांच में कब्जा काश्त जुहाराराम व उसके परिवार का होने पर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया है। प्रथम अपील में अधीनस्थ न्यायालय ने भी परीक्षण उपरान्त वादीगण का कब्जा प्रमाणित न होने से धारा 188 के तहत कोई अनुतोष न दिया जा सकने का निर्णय देते हुये अनुसूचित जाति के सदस्यों की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा मान्य न होने के विनिश्चय के साथ अपील खारिज कर विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा।

8— प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी तथा मौखिंक साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण उपरान्त भूमि पर वास्तविक कब्जा काश्त वादीगण का न होकर जुहाराराम का ही होना परिलक्षित होता है। जुहाराराम अपने मौखिक साक्ष्य में 16—17 साल से उसके द्वारा विवादित भूमि पर काश्त करना स्वीकारता है। स्वयं अपीलार्थी वादी सोहनलाल के मौखिक साक्ष्य से भी भूमि पर कब्जा काश्त उनका होना स्पष्टतः अप्रमाणित है तथा वह भी साक्ष्य में पांच—सात साल से जुहाराराम द्वारा काश्त करना बताता है। आदूराराम द्वारा जरिय पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि का बेचान कर दिया गया था, इसलिये प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण का भूमि पर उनका ही कब्जा काश्त होने का क्लेम चलने योग्य नहीं है। प्रकरण में साक्ष्यों से जुहाराराम का कब्जा काश्त व भूमि से सम्बद्धतता आशाराम के समय से ही होने की स्थिति जाहिर होने से वादीगण का जुहाराराम के नाम सम्पादित मुखत्यारनामा प्रदर्श—4 का वादीगण को न तो कोई लाभ देय है ओर न ही अनुसूचित जाति के सदस्यों का गैर अनु0 जाति के व्यक्ति के पक्ष में सम्पादित यह दस्तावेज कानूनी आधार पर पुष्ठ है। हमारी सुविचारित राय में विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों के परीक्षण उपरान्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का न होकर जुहाराराम का होने तथा इस आधार पर दावा चलने योग्य न होने का निश्कर्ष लेते हुये दोनों विवाद्यकों पर निर्णय कर दावा खारिज करने का प्रदत्त आदेश उचित एवं विधिसम्मत है। अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील में विचारण न्यायालय के तनकीवार निर्णय में इंगित अस्पष्टतता का हम सारवान निर्णय पर कोई प्रभाव होना नहीं मानते हैं। अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा धारित कृषि भूमि पर इस प्रकार अन्य जाति के सदस्य का कब्जा काश्त विधिवत अनुमत नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा धारा 175 के तहत कार्यवाही का प्रदत्त आदेश

उचित तथा विधिसम्मत है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण उपरान्त समान निष्कर्ष के साथ अपील खारिज की गई है, जिसमें भी हम कोई हस्तक्षेप योग्य त्रुटि होना नहीं मानते हैं। दोनों निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित होकर इनमें कोई क्षेत्राधिकार निर्वहन, तथ्यपरक व विधिक कमी न होने से हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

9— अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चुरू तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 11—03—2003 तथा दिनांक 08—12—2005 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य